

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-6
संख्या-602/दो-6-2018-17-53(3)/2018
लखनऊ : दिनांक: 12 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अवधेश कुमार तिवारी, आई0ए0एस0 को उनके पत्र दिनांक 05;04;2018 के संदर्भ में श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवार्ये (प्रा0फण्ड) रूल्स-1955 के नियम'12(1(डी) सपठित नियम-13(1)(बी) के अधीन उनके अनुरोधानुसार भवन निर्माण कराने हेतु उनके जी0पी0एफ0 खाता संख्या-जी0ए0यू0-78469 से रू0-15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य) सहित शासन को तीन माह के भीतर उपलब्ध कराया जाय।


अरविन्द कुमार चित्रांशी
विशेष सचिव।

संख्या-602(1)/दो--6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- पंजीकृत 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम), फण्ड अनुभाग-1, 30प्र0, इलाहाबाद
- पंजीकृत- 2- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
- 3- नियुक्ति अनुभाग-5/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
- 4- श्री अवधेश कुमार तिवारी, आई.ए.एस. सम्भागीय खाद्य निरीक्षक, आगरा सम्भाग, आगरा।

आज्ञा से,,


(कमला सिंह यादव)
अनु सचिव।